सफेद सोने कि आड़ में किसानों को ठगने का खौफनाक षडयंत्र

– निलेश देसाई

रायपुरिया के जयंतीलाल पाटीदार, शंभूलाल पाटीदार, पेटलावद के भेरूलाल सोलंकी,बाबुलाल सोलंकी, जामली के ब्रजभूषण सिंह राठोर, आदि ऐसे हजारों किसान पुनः इस वर्ष बीटी कपास कंपनियोकी आक्रामक प्रचार–रणनीति के शिकार हुए है जो पुरी तरह तथ्यहीन व झूठे आंकड़ों पर आधारित है। झकनावद,बोलासा , बनी, पीठडी ,रामगढ करडावद जामली जैसे झाबुआ जिले कें ऐसे सैकडों गॉव है जहां पिछले साल बीटी कपास की फसल 70 प्रतिशत से भी ज्यादा सूखी थी। किसानों के चीखने–चिल्लाने के बावजूद किसी ने उनकी सुध नही ंली। कंपनियों ने तो इस ओर से आंखे ही मुंद ली। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बरबादी के इस दौर में शासन व कंपनी का कोई भी नुमाइंदा किसानों की मदद के लिए आगे नहीं आया। पेटलावद के कैलाश काग, प्रेमचंद परमार, लाला सोलंकी जैसे अनेक किसान है जिन्हें कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि तुम्हें जहां शिकायत करनी है, जो लिखना है लिखो। तुम्हारी तरह हजारों शिकायतें कंपनी के पास पड़ी हैं। इसी तरह कृषि विभाग द्वारा भी उन्हें दो टूक जवाब देकर भेज दिया गया।

कंपनी ने अपने उत्पादन बेचने के लिए देश के कई हिस्सों में बार बालाओं के डांस शो आयोजित करवाए। नामी फिल्मी सितारों का उपयोग किया गया और ईनामी योजनाएं चलायी, किसानों के लिए भोज आयोजित किए व किसान समुदाय के बेरोजगार युवकों को अपना ऐजेंट बनाया। पेटलावद के मोहन पडियार जिन्होनें अपने खेत में वर्ष 2004 में महिको–184 के एक पैकेट के एवज में मात्र 5 क्विंटल कपास उत्पादन प्राप्त किया, लेकिन कंपनी ने अपने प्रचार अभियान में मोहन के फोटो के साथ 25 क्विंटल का उत्पादन बताया। इसी प्रकार सारंगी के किसान रविन्द्र नारायण पाटीदार को बीटी बीज के विज्ञापन पोस्टर में प्रति पैकेट 25 क्विंटल कपास पैदा होने की बात कहते हुए दिखाया जबकि श्री पाटीदार के अनुसार उनके खेत में प्रति पैकेट 5 क्विंटल कपास ही पैदा हुआ। इस प्रकार ऐसे अनेक उदाहरण है जिनका खेती–बाडी से कोई वास्ता नहीं हैं लेकिन उन्हें कंपनी अपने प्रचार–प्रसार में बढ़ा–चढ़ाकर पेश कर रही है।

बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो के मुनाफे की भूख किस कदर अब गांव और खेती–बाढ़ी को ध्वस्त कर रही है इसकी हकीकत अब मालवा–निमाड़ के छोटे–बडे गांवों में नजर आने लगी है। अनेक विरोधों के बावजूद भारत सरकार की जेनेटीक इंजीनियरिंग अनुमति समिति ने देश में बीटी कपास के बीजों को उपयोग की अनुमति दी वहीं दूसरी ओर मध्यप्रदेश सरकार ने इसके उपयोग की अनुशंसा की। जबकि आंध्रप्रदेश में बहुत स्पष्ट रूप से इस बीच में नकारात्मक अनुभव सामने आये। वहां की सरकार द्वारा इन्हें किसानों के हित में अनुमति नहीं दी गयी। आंध्रप्रदेश सरकार ने वर्ष 2002 में कठोर शर्तों के साथ बीटी कपास के बीजों को अनुमति महिको व राशि कंपनी को दी थी। इन्हीं शर्तों के आधार पर वर्ष 2004–05 में जब परिणामों में मुल्यांकन किया गया तब आंधप्रदेश सरकार ने महसुस किया कि वास्तव में बीटी कपास किसानों के लिए आत्महत्या का एक बड़ा कारण रहा है। और इसलिए आंधप्रदेश सरकार ने इस वर्ष इन बीजों के उपयोग पर ने केवल प्रतिबंध लगाया बल्कि मोनसेंटों कंपनी पर मुआवजे के लिए 4 करोड़ रूपये का दावा भी ठोका एवं मध्यप्रदेश में भी अनेक किसान संगठनों ने बडे स्तर पर बीज स्वराज अभियान के तहत् इस बीज को अनुमति ने देने को लेकर प्रदर्शन किए थे।

जमीनीं हकीकत जानने के लिए स्वयं सेवी संस्था सम्पर्क ने झाबुआ में एवं विकास अनुसंधान एवं शैक्षणिक प्रगतिक संस्थान ने धार में (वर्ष 2004 में कपास की फसलों का) एक अध्ययन किया।अध्ययन से यह बात सामने आयी की बीटी कपास की खेती के लिए किसान को बीज, खाद, मजदूरी, सिंचाई व कीटनाशक आदि पर औसतन 2127.13 रूपये प्रति एकड़ खर्च करना पडा। गैर बीटी कपास की खेती में 1914.86 रूपया प्रति एकड व्यय हुआ। कंपनी ने दावा किया था कि बीटी कपास में डेंडू छेदक इल्ली के प्रति रोधक क्षमता है।अतः कीटनाशक दवाओं का छिडकाव नहीं करना पडेगा। अध्ययन में यह दावा भी खोखला साबित हुआ। कीट नियंत्रण के लिए हर किसान को औसतन 3–4 बार कीटनाशक का प्रयोग करना पडा। उपज के आंकडे भी निराशाजनक रहे। बीटी कपास का औसतन प्रति एकड उत्पादन 5–7क्विंटल से ज्यादा नहीं हुआ था। अनेक किसानों के यहां मेक–12,184,162,6301,रासी – 2 व बन्नी बीटी का डेंडू (घेटे) लगी फसल सूख गई। इन किस्मों के पौधे पहले पीले पडते है फिर घेटे लगे पौधे सूख जाते है।इन किस्मों में डेंडूछेदक इल्ली का प्रकोप भी सामान्य गैर बीटी कपास की तरह ही हुआ और कीट नियंत्रण के लिए किसानों को हजारों रूपये खर्च करना पडे फिर भी सामान्य कपास के उत्पादन से कम है।

सवाल ये है कि इन सब अनुभवों के बावजूद जेनेटीक इंजीनियरींग एप्रुवल कमीटी व मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किस आधार पर इन बीजों को पुनः अनुमति प्रदान की गई? बीज स्वराज अभियान ने भी मध्यप्रदेश सरकार से यह सवाल पूछा था। किस रिपोर्ट के आधार पर इस बीज को पुनः अनुमति दे रहें है। सरकार को अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। लकिन आज तक मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उक्त आशय की कोई रिपोर्ट जनता के सामने नहीं रखी है।

सिर्फ इतना ही नहीं मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जब 16 मई 2005 को बीटी कपास को पुनः अनुमति प्रदान की तो पुनः यह अनुमति इतने सामान्य शर्तों के आधार पर की गई कि आज बडें स्तर पर बीज की असफलता के बावजूद सरकार या किसान द्वारा कंपनियों को जवाबदार ठहराना मुश्किल होगा।वास्तव में यह आदेश कंपनियों द्वारा बीज पैकेट के साथ दिये जाने वाले सूचना पत्र से कहीं अधिक नहीं है। इसमें कंपनियों को राज्य व जिला स्तरीय समितियों को हर माह रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है, लेकिन मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश में इन समितियों की शक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है। और न हीं इन बीज कंपनियों से कोई जमानत राशि जमा करवाई गई है जो नुकसान की स्थिती में किसान को मुआवजे के रूप में प्रदान की जा सके। इसके विपरीत आंधप्रदेश सरकार द्वारा सख्त शर्तों के तहत् इन कंपनियों को बीज की अनुमति प्रदान की गई थी।

इस पूरे क्रम में सबसे अहम चिंता का पहलू यह है कि बडी संख्या मे व साक्षात् अनुभव के बावजूद किसान अपनी बात व्यवस्था के सामने प्रमाणित नहीं कर पा रहा है। जबकि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी झूठ व तथ्यहीन प्रचार के माध्यम से अपना व्यसवास बढ़ा रही है।हमारी व्यवस्था में इसकी कोई जवाबदेही नहीं है।

सवाल यह है कि बड़े स्तर पर नई तकनीक को किसानों के साथ अपनातें वक्त सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की निगरानी व नियंत्रण की व्यवस्था नहीं है क्यों किसानों को इन कंपनियों के भरोसे छोड़ दिया गया है?

इस पूरे क्रम में सबसे गौरतलब तथ्य यह है कि शासन का छोटे से छोटा कर्मचारी व बड़े से बड़ा अधिकारी व्यक्तिगत चर्चाओं में बीटी कपास की सफलता व सार्थकता पर संदेह करता है, लेकिन अधिकृत रूप से वह इन बीजों की तरफदारी करता है। सवाल यह है कि आज एक सामाजिक दायित्व व शासकिय दायित्व के बीच इतना बड़ा विरोधाभास क्यों है? यह सवाल आज हमारे अस्तित्व का सवाल बना है, हमें इसका जवाब ढूँढना होगा।